2017 का विधेयक सं.32

राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह अधिनियम तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 49 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 49 की उप-धारा (9) के विद्यमान खण्ड (vii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(vii) अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण तथा इस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, अपने अधीनस्थ नगरपालिका के अधिकारियों और सेवकों का अधीक्षण और नियंत्रण करेगा।"।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 332 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 332 की उप-धारा (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "नगरपालिका के पूर्ण नियंत्रण" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण और इस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों" प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 49 की उप-धारा (9) के खण्ड (vii) के विद्यमान उपबंधों के अनुसार, मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगरपालिका के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, अपने अधीनस्थ नगरपालिका के अधिकारियों और सेवकों का अधीक्षण और नियंत्रण करता है। अब यह प्रस्तावित है कि मुख्य नगरपालिक अधिकारी, अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण तथा इस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। तदनुसार, धारा 49 की उप-धारा (9) के पूर्वोक्त खण्ड (vii) को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 332 की उप-धारा (3) के विद्यमान उपबंधों के अनुसार, मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगरपालिका के पूर्ण नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, इस उप-धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करता है। अब यह प्रस्तावित है कि मुख्य नगरपालिक अधिकारी, अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण और इस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, उक्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। तदनुसार, धारा 332 की उक्त उप-धारा (3) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

श्रीचंद कृपलानी,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

49. अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिक अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य.- (1) से (8) XX XX XX XX XX

(9) मुख्य नगरपालिक अधिकारी,-

(i) से (vi) XX XX XX XX XX

(vii) नगरपालिका के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, अपने अधीनस्थ नगरपालिका के अधिकारियों और सेवकों का अधीक्षण और नियंत्रण करेगा।

XX XX XX XX XX

332. राजस्थान नगरपालिक प्रशासनिक सेवा.- (1) से (2) XX XX XX

(3) मुख्य नगरपालिक अधिकारी, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित या उसे प्रत्यायोजित कर्तव्यों के अतिरिक्त, नगरपालिका के पूर्ण नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए,-

(क) नगरपालिका के वित्तीय और कार्यपालक नगरपालिक प्रशासन पर निगरानी रखेगा,

(ख) नगरपालिका के लेखाओं की संपरीक्षा के प्रक्रम में उसके नोटिस में लायी गयी या संपरीक्षा-रिपोर्ट में इंगित की गयी किसी त्रुटि या अनियमितता को दूर करने के लिए त्वरित उपाय करेगा,

(ग) नगरपालिका के धन या सम्पत्ति के प्रति कपट, गबन, चोरी या हानि के सभी मामलों की रिपोर्ट करेगा,

(घ) निगम या परिषद् या बोर्ड द्‌वारा चाही गयी कोई विवरणी, विवरण, लेखे या रिपोर्ट या उसके प्रभार में का कोई अन्य दस्तावेज या उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा, और

(ङ) किसी बैठक में विचाराधीन किसी मामले के संबंध में स्पष्टीकरण देगा किन्तु उसमें "उस" पर मत नहीं डालेगा या उस पर कोई प्रतिपादन नहीं करेगा।

XX XX XX XX XX

Bill No. 32 of 2017

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (FIFTH AMENDMENT) BILL, 2017

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Fifth Amendment) Act, 2017.

(2) This Act shall come into force at once.

2. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing clause (vii) of sub-section (9) of section 49 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(vii) subject to the general superintendence and control of the Chairperson and general or special orders of the State Government in this behalf, exercise supervision and control over the officers and servants of the Municipality sub-ordinate to him.".

3. Amendment of section 332, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (3) of section 332 of the principal Act, for the existing expression "overall control of the Municipality", the expression "overall control of the Chairperson and general or special orders of the State Government in this behalf " shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per the existing provisions of clause (vii) of sub-section (9) of section 49 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009, the Chief Municipal Officer exercises supervision and control of the officers and servants of the Municipality subordinate to him subject to the general superintendence and control of the Municipality. Now it is proposed that the Chief Municipal Officer shall exercise these powers subject to the general superintendence and control of the Chairperson and general or special orders of the State Government in this behalf. Accordingly, the aforesaid clause (vii) of sub- section (9) of section 49 is proposed to be substituted.

As per the existing provision of sub-section (3) of section 332 of the Rajasthan Municipality Act, 2009, the Chief Municipal Officer exercises the powers under that sub-section subject to the overall control of the Municipality. Now it is proposed that the Chief Municipal Officer shall exercise the said powers subject to the overall control of the Chairperson and general or special orders of the State Government in this behalf. Accordingly the said sub-section (3) of section 332 is proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

श्रीचंद कृपलानी,

Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES ACT, 2009 (ACT No. 18 of 2009)

XX XX XX XX XX XX

49. Powers and duties of the Chief Municipal Officer including custody of records.- (1) to (8) xx xx xx xx xx xx

(9) The Chief Municipal Officer shall,-

(i) to (vi) xx xx xx xx xx xx

(vii) subject to the general superintendence and control of the Municipality, exercise supervision and control over the officers and servants of the Municipality subordinate to him.

XX XX XX XX XX XX

332. Rajasthan Municipal Administrative Service.- (1) to (2) xx xx

(3) In addition to any duties imposed upon or delegated to him by or under this Act, a Chief Municipal Officer shall, subject to the overall control of the Municipality –

(a) watch over the financial and executive municipal administration of the Municipality,

(b) take prompt steps to remove any defect or irregularity brought to his notice in the course of the audit of the municipal accounts or pointed out in the audit report,

(c) report all cases of fraud, embezzlement, theft or loss of municipal money or property,

(d) supply any return, statement, account or report or any other document in his charge or a copy thereof requisitioned by the Corporation or Council or Board, and

(e) make an explanation in regard to subject under discussion at a meeting thereof but not vote 'upon' or make any proposition thereat.

XX XX XX XX XX XX

<u>2017 का विधेयक सं.32</u>

राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
सचिव।

(श्रीचंद कृपलानी, **प्रभारी मंत्री)**

<u>Bill No. 32 of 2017</u>

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (FIFTH AMENDMENT) BILL, 2017

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Secretary.

(Shrichand Kriplani, **Minister-Incharge**)